20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर (म0प्र0)

(37)

प्रकरण कमांक /2019 निगरानी

निगरानी-0250/2019/विदिशा/भू.रा.

छुट्टनलाल पुत्र श्री हल्कूसिंह आयु-- 58 वर्ष, निवासी-- सियालपुर, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा, (म0प्र0) ---**आवेदक**

बनाम

सीताराम पुत्र श्री रामकिशन अग्रवाल निवासी-- बोहर वाड़ी, सिरौंज जिला विदिशा, (म0प्र0) ---**अनावेदक**

श्री अशोक ... द्वारा आज 5-2-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-2-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-2-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

5-2-19

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू--राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 13/12/2018 जो कमीश्नर भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 0174/द्वितीय अपील/17-18 में पारित किया हैं। प्रथम अपील आदेश दिनांक 30/12/2017 जो अनुविभागीय सिरोंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 15/अपील/14-15 में पारित की हैं।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, सर्वे कमांक 108/2 रकवा 0.950 हैक्टर खसरा नं0 159/3 रकवा 0.238 हैक्टर सिंचित काश्त की भूमि ग्राम सियालपुर में स्थित हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में नामांतरण पंजी में मौजा पटवारी द्वारा संशोधन पंजी के संशोधन द्वारा दिनांक 05/07/2012 को किया गया।
2. यहकि, पटवारी द्वारा नामान्तरण पंजी में संशोधन करने से आवेदक को सूचना देकर सुनवाई का अवसर दिये बिना पंजी में संशोधन

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0250/2019/विदिशा/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	आवेदक की ओर से श्री अशोक कौशिक अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध अब पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	